Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/4334/2004/बांरा

रहीमुद्धीन पुत्र अकबर खां जाति मुसलमान निवासी गूगलहेडी तहसील एवं जिला बांरा

अपीलार्थी

बनाम

1 हमीद पुत्र नसरू
2 गफूर पुत्र नसरू
3 सलीम पुत्र नसरू
4 सागरद्धीन पुत्र नसरू सभी जाति मुसलमान निवासी ग्राम जालेडा तहसील बांरा
5 मोटर उर्फ शान्ति पुत्री नसरू
6 जायदा पुत्र नसरू सभी जाति मुसलमान निवासीयान ग्राम जालेडा तहसील बांरा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह वकील अपीलार्थी
श्री रमजान मोहम्मद वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 6.4.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 695/02 में पारित निर्णय दिनांक 12.8.04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, बांरा के न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गूगलहेडी की आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 0.81 हेक्टर वादीगण के खातेदारी की स्थित है। वादीगण ने उक्त आराजी प्रतिवादी अपीलार्थी को एक वर्ष काश्त के लिए पांती पर पर 5 साल पूर्व दिया था परन्तु प्रतिवादी के मन में बदनियती

आने के कारण फसल का हिस्सा वादीगण को नहीं देता हैं। अतः प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 31.10.02 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्व प्रतिवादी अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.8.2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर समुचित तनकियात कायम नहीं की हैं। प्रस्तुत साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवलमात्र विचारण न्यायालय की पुष्टि की है, अपना कोई मत नहीं दिया है। स्वंय वादी प्रत्यर्थी के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपीलार्थी का लम्बा एवं लगातार कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। वादी ने अपने वाद में 5 साल से कब्जा होना कथन किया है। जिससे वादी का वाद मयाद बाहर है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपीलार्थी का 30 वर्ष से अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों का सही रूप से विवेचन नहीं किया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से प्रतिवादी अपीलार्थी का एडवर्स पजेशन होना साबित होता है जिससे वादी के अधिकार समाप्त हो चुके हैं एवं अब वह प्रतिवादी अपीलार्थी को बेदखल करा कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि वादी प्रत्यर्थीगण के खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी अपीलार्थी को पांती पर एक साल के लिए काश्त पर दी गई थी। पहले तो प्रतिवादी हिस्सा (पांती) देता रहा एवं बाद में बन्द कर दिया तब यह बेदखली का दावा पेश किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों का पूर्ण विवेचन कर समवर्ती निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी अपीलार्थी का कब्जा 30 साल से होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं है एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अपीलार्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में रहा है जिसे बेदखल करा वादी प्रत्यर्थीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में विवादित भूमि का कब्जा वादीगण को दिया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक

ने अपने तर्को के समर्थन में आर.बी.जे. 2000 पेज 318, 134, ए.आई.आर. 1999 सुप्रीम कोर्ट 2286, आर.बी.जे. 2009 पेज 725, 559, आर.बी.जे. 2013 पेज 183 आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि वादीगण के खातेदारी की होना एवं प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि उसके कब्जे में किस प्रकार चली आ रही है, नहीं बताया जाना तथा 30 वर्ष से कब्जा होना किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं करने के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय पारित पारित करते हुए अपील खारिज की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 प्रदर्श 1 में विवादित भूमि हमीर, गफफार, सलाम, सागरदीन पुत्रान नसरू, मोटर उर्फ शान्तीबाई, जायदा पुत्रियां नसरू हि. बराबर दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि के अभिलेखीय खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण प्रत्यर्थीगण ने अपने वाद में विवादित भूमि पांती काश्त पर प्रतिवादी अपीलार्थी को एक साल के दिया जाना कथन किया है। इसके विपरीत प्रतिवादी अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर उनका कब्जा 30 वर्ष से अधिक समय से होना कथन किया है। परन्तु प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उनका विवादित भूमि पर 30 साल से अधिक समय से होना साबित हो सके। प्रतिवादी अपीलार्थी ने अपने कब्जे का आधार भी स्पष्ट नहीं किया है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2057 प्रदर्श 1ए व 2ए प्रस्तुत की गई हैं। परन्तु इनसे प्रतिवादी का इस वर्ष में कब्जा होना स्पष्ट नहीं होता है। प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपीलार्थी का पुराना कब्जा अर्थात एडवर्स पजेशन होना साबित नहीं होता है। अपीलार्थी प्रतिवादी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में है। चूंकि वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं एवं उसके एक वर्ष की पांती काश्त पर प्रतिवादी को दी थी जिससे वादीगण प्रतिवादी अतिक्रमी को बेदखल करा विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। हमारे इस मत को आर.बी.जे.(22)2015 पेज 467, आर.बी.जे. (16)2009 पेज 559 एवं आर.बी.जे. (7) 2000 पेज 318 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों से भी बल मिलता है।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं तथा अपीलार्थी द्वारा आलौच्य निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 12.8.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष